रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270866
CG-DL-E-12032026-270866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947
No. 164]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

सा.का.नि. 170(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सांख्यिकी शाखा (सांख्यिकी सहायक, सांख्यिकी लिपिक और गणना मशीन संचालक - अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1980 को निरस्त करते हुए, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे निरस्तीकरण से पहले किए गए हों या करने का लोप किया गया हो, राष्ट्रपति एतद्द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ तिथि -** ((1) इन नियमों को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रावृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

3. भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यताएँ, आदि - उक्त पद से संबंधित भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यताएँ और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. अयोग्यता - कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी व्यक्ति, जिसका जीवनसाथी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, या

(ख) जिसने जीवनसाथी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो,उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार - यदि केंद्र सरकार को यह आवश्यक या उचित लगे, तो वह लिखित रूप में कारण बताते हुए, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समयसमय पर जारी किए गए - आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक	02 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये)	गैरचयन-	आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) नोट: कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि होगी। (यदि भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं होती है, तो आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी?	परिवीक्षा अवधि; यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में डिग्री या समकक्ष योग्यता वांछनीय अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति	लागू नहीं	दो वर्ष नोट: परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक है।

भर्ती की विधि : सीधी भर्ती द्वारा, पदोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति द्वारा या समायोजन द्वारा, और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:- 1. निदेशक (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, विपणन प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली - सदस्य; 3. अवर सचिव, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, मुख्यालय, फरीदाबाद - सदस्य; 4. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. 12018/06/2024-M-I]

चिन्मय पुण्डलिकराव गोतमरे, संयुक्त सचिव (मार्केटिंग)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2026

G.S.R. 170(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Marketing and Inspection, Statistical Wing (Statistical Assistant, Statistical Clerk and Calculating Machine Operator - Non Gazetted Posts) Recruitment Rules 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Junior Statistical Assistant in the Directorate of Marketing and Inspection under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Farmer's Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection, Junior Statistical Assistant (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. --** The number of the said post, its classification and the **level in pay matrix** attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc.--** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No Person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.--** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Economically Weaker Section, the Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit of direct recruit.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Statistical Assistant	02 (2026) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the pay Matrix (Rs.25500-81100)	Non-Selection	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: In the case of recruitment through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff

					Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of application.)

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation; if any
(7)	(8)	(9)
Degree in Statistics or Mathematics or Commerce or Economics (with Statistics) from a recognised University or equivalent Desirable Typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi	Not applicable.	Two years. Note : Successful Completion of the mandatory induction training of at least two weeks is a pre-requisite for completion of probation.

Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion deputation absorption, grades from which promotion/deputation absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

If Departmental Promotion Committee exists, which is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director (Administration)- **Chairman;** 2. Under Secretary, Marketing Division, Department of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi- **Member;** 3. Under Secretary, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad- **Member;** 4. A Group "A" Officer from an outside Ministry or Department - **Member**.	Not applicable.

[F. No.12018/06/2024-M-I]

CHINMAY PUNDLIKRAO GOTMARE, Jt. Secy. (Marketing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.12 14:41:08 +05'30'